



4. मुस0 फूलकुमारी पतनी स्व0 हीरालाल सिंह (मृत)
5. पुष्पराज सिंह तनय स्व0 हीरालाल सिंह उम्र- 40 वर्ष, पेशा- खेती, निवासी ग्राम- नौगवां धीर सिंह, तहसील- गोपदबनास, जिला- सीधी (म.प्र.)
6. श्रीमती शान्ती सिंह पत्नी श्री उदयराज सिंह पुत्री स्व0 हीरालाल सिंह, उम्र- वर्ष, पेशा- गृहकार्य, निवासी ग्राम- विमल मिश्रा पाण्डव नगर शिव मंदिर के सामने, जिला- शहडोल (म.प्र.)
7. सावित्री सिंह पुत्री हीरालाल सिंह पत्नी तिलकराज सिंह (मृत)
- 7(क) श्रीमती प्रतिमा सिंह पत्नी जीतेन्द्र सिंह बघेल पुत्री सावित्री सिंह उम्र- वर्ष, पेशा-गृहकार्य, ग्राम- डिहिया, पो0-जवा, तहसील-त्यौंथर, जिला-रीवा (म.प्र.)
- 7(ख) श्रीमती आशू सिंह पत्नी अशोक सिंह बघेल पुत्री स्व0 सावित्री सिंह उम्र- वर्ष, पेशा- गृहकार्य, निवासी ग्राम- मौहार, पोस्ट- कोठी, तह0- रघुराजनगर, जिला- सतना (म.प्र.)
- 7(ग) धीरेन्द्र सिंह पत्नी तिलकराज सिंह पुत्री स्व0 सावित्री सिंह उम्र- वर्ष, पेशा- गृहकार्य, निवासी ग्राम- जनकहाई, पोस्ट- जनकहाई, तहसील- त्यौंथर, जिला- रीवा (म.प्र.)
- 7(घ) अजय सिंह तनय तिलकराज सिंह पुत्री स्व0 सावित्री सिंह उम्र- वर्ष, पेशा- गृहकार्य, निवासी ग्राम- जनकहाई, पोस्ट- जनकहाई, तहसील- त्यौंथर, जिला- रीवा (म.प्र.)

----- उत्तरवादीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्  
अपर कलेक्टर महोदय सीधी, जिला- सीधी  
(म.प्र.) राजस्व प्रकरण क्रमांक- 41/  
निगरानी / 2012-2013 पारित आदेश  
दिनांक- 18.05.2018

मान्यवर,

निगरानीकर्तागणों की ओर से निम्नांकित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है:-

### प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

1. यह कि निगरानीकर्तागण एवं उत्तरवादी क्रमांक- 1, 2, 3 एवं 5, 6, 7 आपस में सगे भाई, बहने हैं उत्तरवादी क्रमांक- 4, निगरानीकर्तागणों की माता है



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3479/2018/सीधी/भू.रा.

नीशा विरूद्ध दधिवल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 41/निगरानी/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 18-05-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p> <p style="text-align: right;">(बी.एम.शर्मा) सदस्य</p>	